

प्रपत्र सं. 1 का पृष्ठ सं.
प्रथम सूचना रिपोर्ट
(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला जयपुर ...थाना प्रधान आरक्षी केंद्र, भ्र0 नि0 ब्यू0 जयपुर
प्र0इ0रि0 सं. 05/22 दिनांक. 8/1/22
2. (I) अधिनियम ...पी0सी0 (संशोधन)एक्ट 2018..... धारायें. 7, 7ए एवं 8....
(II) अधिनियम भा0दं0सं0 .. धारायें.....201, 120 बी.....
(III) 'अधिनियम धारायें
- (IV) 'अन्य अधिनियम एवं धारायें
3. (अ) योजनामचा आम रपट संख्या 208 समय . 5-15 P.M.
(ब) 'अपराध घटने की दिनांक 15.09.2021 से लगातार समय
(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक समय
4. सूचना की किस्म :-लिखित / मौखिक :- लिखित
5. घटनास्थल :- जयपुर
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी:-.....
(ब) 'पता
- (स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
पुलिस थानाजिला
6. परिवादी / सूचनाकर्ता :-
(अ) नाम .. श्री रघुवीर शरण शर्मा.....
(ब) पिता/पति का नाम.....
(स) जन्म तिथि/वर्ष
- (द) राष्ट्रियता . भारतीय.....
(य) पारापोर्ट संख्याजारी होने की तिथि .
जारी होने की जगह
- (र) व्यवसाय -
- (ल) पता :- पुलिस निरीक्षक, विशेष अनुसंधान ईकाई, भ्रनिब्यूरो, जयपुर।
ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :-
1- श्री अचलेश्वर मीणा पुत्र श्री जटाशंकर मीणा निवासी मकान नम्बर ए-800, सिद्धार्थ नगर,
जैन मंदिर जवाहर सर्कल के पास, जयपुर हाल वित्तीय सलाहकार, नगर निगम ग्रेट, जयपुर।
2- श्री धनकुमार जैन पुत्र स्व0 श्री छोटेलाल जैन उम्र 60 साल निवासी 7, श्रीजी नगर,
दुर्गापुरा, जयपुर हाल नगर निगम, ग्रेटर, जयपुर में ठेकेदार।
3- श्री अनिल अग्रवाल पुत्र श्री ओमप्रकाश अग्रवाल उम्र 46 साल निवासी सी-27-बी, चौमू
हाउस, पुलिस थाना विधायकपूरी, जयपुर हाल सरकारी ठेकेदार, नगर निगम, ग्रेट, जयपुर।
4- श्री यतेंद्र सांखला, हाल सहायक लेखाधिकारी, नगर निगम, ग्रेटर, जयपुर।
5- श्रीकान्त पारीक, ए.0ए0 नगर निगम, ग्रेटर, जयपुर।
6- श्री गोविन्द्र कुमार,
7- श्री गंगाराम मीणा
8- श्री अभिषेक जैन उर्फ टीटू
9- नगर निगम, ग्रेटर जयपुर में पदस्थापित अन्य अधिकारीगण/कर्मचारीगण एवं अन्य प्राईवेट
व्यक्ति/ठेकेदार/दलाल
8. परिवादी / सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :-.....कोई नहीं.....
9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें)
10. चुराई हुई/ लिप्त सम्पत्ति का कुल मुल्य-
11. पंचनामा/ यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो)
12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें) :

निवेदन है कि मन् निरीक्षक पुलिस को जरिये सूत्र दिनांक 15.09.2021 को एक सूचना इस आशय की प्राप्त हुई कि नगर निगम ग्रेटर जयपुर के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के द्वारा नगर निगम के ठेकेदारों से उनके कार्यों के बिलों के भुगतान करने की ऐवज में 2 से 3 प्रतिशत धन राशि बतौर कमीशन रिश्वत के रूप में ली जा रही है। नगर निगम जयपुर में कार्यरत ठेकेदारों के बिल सूचारु रूप से पास करवाने के लिए दलालों के माध्यम से निगम के अधिकारियों द्वारा भ्रष्ट आचरण में संलिप्त होकर रिश्वत राशि प्राप्त किये जाने की सूचना विश्वस्त सूत्रों से प्राप्त हुई। इस भ्रष्ट आचरण में नगर निगम हैरिटेज तथा ग्रेटर में कार्यरत अधिकारियों द्वारा टैण्डर प्रदान किये जाने से लेकर, कार्य के निरीक्षण, माप तथा बिल अग्रेषित व भुगतान किये जाने के लिये पृथक-पृथक रिश्वत राशि दलालों के माध्यम से प्राप्त की जाती है। रिश्वत राशि प्राप्त की जाकर सम्बन्धित भ्रष्ट अधिकारियों को प्रदान की जाती है। ये मोबाईल नं. 9166555111 धारक श्री अचलेश्वर मीणा वित्तीय सलाहकार नगर निगम ग्रेटर, 9829966711 एवं 9829422627 धारक श्री गोविन्द कुमार अग्रवाल उर्फ गोपी, 9828600113 धारक श्री धनकुमार, 9314874078 धारक श्री अनिल अग्रवाल, 9351302347 धारक श्री अभिषेक जैन उर्फ टीटू, 9414056264 एवं 9057206906 धारक श्री गंगाराम मीणा, 9828469469 धारक श्री यतेन्द्र सांखला एएओ नगर निगम ग्रेटर प्रयोग करते हैं। जिनको अन्तावरोध पर लिया गया। उक्त मोबाईल नम्बर के धारकों में श्री अचलेश्वर मीणा, नगर निगम ग्रेटर, जयपुर में वित्तीय सलाहकार के पद पर तथा श्री यतेन्द्र सांखला, एएओ नगर निगम ग्रेटर, जयपुर के पद पर पदस्थापित है तथा श्री धनकुमार, गोविन्द्र कुमार, अनिल अग्रवाल, गंगाराम मीणा तथा अभिषेक जैन उर्फ टीटू प्राईवेट व्यक्ति है जो वर्तमान में नगर निगम से सम्बन्धित निर्माण कार्यों के लिये ठेकेदारी का काम करते हैं। इसलिये उक्त सूत्र सूचना की पुष्टि हेतु उक्त मोबाईल नम्बरों को नियमानुसार ब्यूरो मुख्यालय से अन्तावरोध पर लिया जाकर मन् पुलिस निरीक्षक, श्री पन्नालाल कानि0 09, श्री रमजान अली कानि. 466, श्री देवेन्द्र सिंह कानि. एवं श्री मनीष सिंह कानि0 द्वारा सुना जाकर सत्यापन किया गया, जिसमें सूत्र सूचना के तथ्यों की पूर्णरूपेण पुष्टि हुई। उपरोक्त मोबाईल नम्बरों धारकों की निगरानी मन् पुलिस निरीक्षक, श्री पन्नालाल कानि0 09, श्री रमजान अली कानि. 466, श्री देवेन्द्र सिंह कानि. एवं श्री मनीष सिंह कानि0 द्वारा की गई तो उक्त संदिग्ध अधिकारियों तथा प्राईवेट ठेकेदारों (मोबाईल नम्बरों के धारकों) का परस्पर मिलना तथा नगर निगम, ग्रेटर से सम्बन्धित टैण्डर प्रदान किये जाने से लेकर, कार्य के निरीक्षण, माप तथा बिल अग्रेषित एवं भुगतान किये जाने तक के लिये बतौर कमीशन रिश्वत हेतु वार्ता करने की पुष्टि हुई, जिनका उल्लेख निम्नानुसार है :-

गोपनीय रूप से मन् पुलिस निरीक्षक तथा श्री रमजान अली कानि0 द्वारा की गई निगरानी के दौरान दिनांक 18.09.2021 को मीणा नर्सरी बी-2 बाईपास कोने पर समय करीब 01:00 पीएम से करीब 2:00 पीएम तक कई ठेकेदार इक्ठे हुए तथा कमीशन के रूप में दी जाने वाली धन राशि व बिलों के पेमेन्ट के सम्बन्ध में वार्ता की गई। उक्त स्थान के मोबाईल फोन से फोटोग्राफ भी लिये गये।

इसी प्रकार मन् पुलिस निरीक्षक, श्री पन्नालाल कानि0 तथा श्री रमजान अली कानि0 द्वारा की गई निगरानी के दौरान दिनांक 20.09.2021 को नगर निगम ग्रेटर में समय करीबन 6 बजे गोविन्द कुमार अग्रवाल उर्फ गोपी ठेकेदार एवं ठेकेदार धन कुमार द्वारा मुलाकात कर वार्ता की गई। वार्ता से पूर्व दोनों नगर निगम ग्रेटर लेखा शाखा कमरा नम्बर 325 में जाकर आते हैं। गोपी व धनकुमार की मुलाकात का मोबाईल फोन से विडियो बनाया गया।

दिनांक 21.09.2021 को गोपी ठेकेदार व पंकज अग्रवाल ठेकेदार ने जयपुर हॉस्पिटल में समय करीब 5:00 बजे मुलाकात की। पंकज अग्रवाल व अन्य निगम कर्मी की पिछे वाले गेट पर मुलाकात का विडियो व फोटो बनायी गयी है।

दिनांक 22.09.2021 को गोपी ठेकेदार नगर निगम हैरिटेज में जाता है। समय करीब 3:30 पीएम पर लेखा शाखा के निगम कर्मी से मुलाकात करता है उससे पहले गोपी लेखा